संख्या-41/2021/961/58-2021

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्तश सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-21 के लिए अनुदान संख्या-10 की राजस्व पक्ष की दो योजनायें लेखाशीर्षक-2401-119-03-0304 तथा लेखाशीर्षक-2415-80-004-06 की मानक मद 55-मकान किराया भत्ता में पुर्नविनियोग के माध्यएम से वित्तीषय स्वीककृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-9/बजट/2021/22, दिनांक 26.4.2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में संलग्न बी0एम0-09 में वर्णित मानक मदों में उल्लिखित बचतों के सापेक्ष लेखाशीर्षक-2401-119-03-0304 मानकमद-55-मकान किराया भत्ताम में रू0-26.95 लाख तथा लेखाशीर्षक-2415-80-004-06 की मानक मद 55-मकान किराया भत्ता में रू0-26.95 लाख की पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक:यथोक्ति।

भवदीय,

(रवि शेकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2021/961(1)/58-2021 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवनए लखनऊ ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्तक (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in